

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**

**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 725/2023**

**IN THE MATTER OF:**

**BALIRAM SINGH**

**.....APPLICANT**

**VERSUS**

**WALLOP BREWING PRIVATE LIMITED & ORS.**

**.....RESPONDENT(s)**

**INDEX**

<b>S.No.</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>PAGE NO.</b>
<b>1.</b>	<b>RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2, 6 AND 8 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 02.12.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL</b>	
	<b>ANNEXURES</b>	
<b>2.</b>	<b>COPY OF THE LETTER DT. 16.06.2023 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-1</b>	
<b>4.</b>	<b>COPIES OF THE LETTERS DT. 27.10.2023 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-2</b>	
<b>5.</b>	<b>COPY OF THE LETTER DT. 10.03.2025 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-3</b>	

6.	COPIES OF THE GOOGLE IMAGERY MAP ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-4	
7.	COPIES OF THE KML FILES OF THE SANCTUARY AND ECO- SENSITIVE ZONE ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-5	
8.	COPY OF RANGE CASE NO. 18/2018-19 DT. 02.01.2019 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-6	
9.	COPY OF THE CHARGESHEET ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-7	
10.	COPY OF THE LETTER DT. 13.06.2019 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE A-8	

*THROUGH COUNSEL*



BHANWAR PAL SINGH JADON

STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.

EMAIL- [bhanwar09jadon@gmail.com](mailto:bhanwar09jadon@gmail.com)

Ph: 9639286572

DATE: 22.07.2025

PLACE: NOIDA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO. 725/2023



**IN THE MATTER OF:**

**BALIRAM SINGH**

.....APPLICANT

**VERSUS**

**WALLOP BREWING PRIVATE LIMITED & ORS.**

.....RESPONDENT(s)

**RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 2, 6 AND 8 IN  
COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 02.12.2024 PASSED BY THE  
HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**

**I. BACKGROUND OF THE MATTER**

1. That in the present matter, the violations alleged are that Respondent No. 1, Wallop Brewing Private Limited, is operating in violation of environmental norms by establishing its unit within 300 meters from the boundary of the Chandraprabha Wildlife Sanctuary, without obtaining the mandatory No Objection Certificate (NOC) from the Forest Department.

Y

That despite being granted Consent to Establish (CTE) on 19.08.2021 with a specific condition i.e. Condition No. 21 that the said NOC and land use documents must be submitted within two months prior to commencing operations, failing which the CTE would be deemed rejected. That Respondent No. 1 only applied for the NOC on 16.06.2023, thereby violating Condition No. 21 of the CTE and commencing operations in contravention of the prescribed environmental norms.

## **II. APPLICATION FOR NOC BY THE PROJECT PROPONENT**

2. That it is pertinent to submit that the Project Proponent has submitted an application dated 16.06.2023 seeking a No Objection Certificate (NOC) in relation to the Eco-Sensitive Zone/Wildlife Sanctuary by providing the GPS coordinates of his unit.

A Copy of the letter dt. 16.06.2023 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-1.**

## **III. DISTANCE VERIFICATION BY THE FOREST DEPARTMENT**

3. That subsequently, based on information received from the Regional Forest Officer, Jaymohani Range vide letter dy. 27.10.2023, the Divisional Forest Officer, Kashi Wildlife Division, Ramnagar, Varanasi has written a letter dated 27.10.2023 to the Project Proponent stating that the actual distance details as under:

✓

- **Distance from Reserved Forest Area (RF):** 162 meters

GPS Coordinates: Latitude 24°52'20.07", Longitude 83°05'06.49"

- **Distance from Wildlife Sanctuary:** 2825 meters

GPS Coordinates: Latitude 24°53'07.24", Longitude 83°06'26.19"

- **Distance from Eco-Sensitive Zone:** 1820 meters

GPS Coordinates: Latitude 24°53'03.64", Longitude 83°05'42.96"

It is pertinent to mention that No NOC has been issued with respect to wildlife, flora, fauna, or environment after the establishment of the unit.

Copies of the letters dt. 27.10.2023 have been annexed herewith as **ANNEXURE A-2.**

4. That the Regional Forest Officer, Chandra Prabha Range, Kashi Wildlife Division, Ramnagar, Varanasi, has written a letter dated 10.03.2025 to the Divisional Forest Officer, Kashi Wildlife Division, Ramnagar, Varanasi. That the said letter states that the Regional Forest Officer, Chandra Prabha Range, Kashi Wildlife Division, Ramnagar, Varanasi alongwith concerned Section Officer Shri Ramcharitra Singh, Forest Inspector, conducted a site inspection on 08.03.2025. That during the said inspection, the shortest distance from the Wallop Brewing Pvt. Ltd. to the left bank of the Posta River within the boundary of Chandra Prabha Wildlife Sanctuary was measured. The findings are as follows:

- GPS of the unit: Latitude 24°52'18.40", Longitude 83°05'01.02"

Y

- GPS of the nearest left bank of Posta River within Chandra Prabha Wildlife Sanctuary: Latitude 24°52'31.57", Longitude 83°06'55.13"
- The nearest distance of the unit from the left bank of Posta River within Chandraprabha Wildlife Sanctuary is **3.23 kilometers**. Therefore, the said unit is **outside the 1 km Eco-Sensitive Zone (ESZ)** of the sanctuary.

A Copy of the letter dt. 10.03.2025 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-3**.

Copies of the Google imagery map of the said sanctuary has been annexed herewith as **ANNEXURE A-4**.

Copies of the KML files of the sanctuary and the Eco sensitive Zone have been annexed herewith as **ANNEXURE A-5**.

5. That it is relevant to mention that:

- The distance from the boundary wall of M/s Wallop Brewing Private Limited to reserve forest pillar no 162/1 is Approx 159 m.
- The distance from the boundary wall of M/s Wallop Brewing Private Limited to Eco Sensitive Zone pillar No. E18 is Approx 1816 m.
- The distance from the boundary wall of M/s Wallop Brewing Privat Limited to Sanctuary Zone pillar No. C18 is Approx 2831m.

✓

- The distance from the boundary wall of M/s Wallop Brewing Privat Limited to Sanctuary Zone pillar No. C17 is Approx 3249 m.
- The unit is located at a distance of Approx 1816 m from the Eco-sensitive Zone. As per The Gazette of India extraordinary part II-section-3-sub-section-II- New Delhi, January 8, 2019, 1 Km from the surrounding area from the boundary of Chandraprabha Wildlife Sanctuary has been declared as Eco-sensitive Zone of the Chandraprabha Wildlife Sanctuary.

**IV. REGARDING WILDLIFE INCIDENTS IN NEWSPAPER REPORTS**

6. That with respect to the newspaper clippings enclosed by the applicant showing incidents of harm to wildlife, it is submitted that except for one incident falling within the jurisdiction of Kashi Wildlife Division, Ramnagar, Varanasi.
7. However, it is noteworthy that in reference to clipping Annexure-A3 (of the Original Application) published in Amar Ujala, no leopard deaths or poaching cases have been reported in the concerned area in the past 5 years. However, it is germane to mention that during the night of 01.01.2019/02.01.2019, a leopard was found injured in Compartment No. 17, Shikarganj under Jaymohani Range which comes under the jurisdiction

Y

of the Kashi Wildlife Division. That the leopard was rescued and sent for treatment to Kanpur Zoo as per norms. That further, a range case No. 18/2018-19 dated 02.01.2019 was registered against unknown persons. That after investigation, the accused were identified and chargesheet has been filed as stated in the letter dated 13.06.2019 written by the Divisional Forest Officer, Kashi Wildlife Division, Ramnagar, Varanasi to the Regional Forest Officer, Jaymohani Range.

A Copy of the Range Case No. 18/2018-19 dt. 02.01.2019 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-6**.

A Copy of the Chargesheet has been annexed herewith as **ANNEXURE A-7**.

A Copy of the letter dt. 13.06.2019 has been annexed herewith as **ANNEXURE A-8**.

8. That following the said incident, regular patrolling and surveillance are being conducted in the sensitive ESZ areas by forest department, and informers have also been activated to report illegal hunting. As a result, no other illegal hunting incident has occurred in the past 5 years. Moreover, awareness campaigns are being conducted in surrounding villages regarding forest and wildlife conservation and protection to prevent such incidents in the future.

2

9. That the deponent is duty bound to fulfil the obligation which are assigned under the law and directions passed by this Hon'ble Tribunal. The Deponent is fully committed to ensure strict adherence to the orders of this Hon'ble Tribunal and undertakes to faithfully comply with any further directions or instructions that may be issued by this Hon'ble Tribunal, without demur or delay. To upkeep the majesty of the Hon'ble Courts of law is always the duty concern for deponent herein.

10. Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

*THROUGH COUNSEL*

BHANWAR PAL SINGH JADON

STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.

EMAIL- [bhanwar09jadon@gmail.com](mailto:bhanwar09jadon@gmail.com)

Ph: 9639286572

**DATE: 22.07.2025**

**PLACE: NOIDA**

544

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 725/2023



Regd. S. No.- 760
Date- 22.7.2025

IN THE MATTER OF:

BALIRAM SINGH

.....APPLICANT

VERSUS


WALLOP BREWING PRIVATE LIMITED & ORS.

.....RESPONDENT(s)

AFFIDAVIT

I, B.:SIVA.SANKAR., aged about ...31.... years, S/o B.:BHASKAR NAIK.,  
posted as Divisional Forest Officer, KASHI WILDLIFE DIVISION do hereby solemnly  
RAMNAGAR, VARANASI  
affirm and state as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present affidavit.



Y


2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

  
DEPONENT

**VERIFICATION**

Verified at kashi on this 22nd day of July, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 2 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

  
DEPONENT



Attested By Me  
 22.7.2025  
G. S. Chaturvedi  
Notary Govt. Of India  
Regd No. 1566

सेवा में,

546

प्रभागीय वनाधिकारी,  
काशी वन्य जीव प्रभाग,  
रामनगर, वाराणसी।

विषय— यवासवनी की स्थापना हेतु वन्य जीव विहार/इको सेन्सिटिव जोन से अनापत्ती प्रमाण पत्र प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रार्थी द्वारा वौल्लप ब्रुविंग प्रा०लि०, गुलरहवा ग्राम—लोहरा, सोनभद्र के नाम से जनपद सोनभद्र में यवासवनी की स्थापना की जानी है जिस हेतु वन्य जीव विहार/इको सेन्सिटिव जोन से अनापत्ती प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। यवासवनी स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित स्थल का जी०पी०एस० N24<sup>0</sup> 52' 11.7 E 83<sup>0</sup> 04' 57.6 है।

अतः आपसे निवेदन है कि यवासवनी की स्थापना हेतु वन्य जीव विहार/इको सेन्सिटिव जोन से अनापत्ती प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें।

भवदीय

Vedant  
16/06/23  
(वेदान्त चौपड़ा)

डायरेक्टर,

वौल्लप ब्रुविंग प्रा०लि०,  
गुलरहवा ग्राम—लोहरा,  
सोनभद्र।

संलग्नक—

1. फ़ैक्टरी एक्ट।
2. उ०प्र० अग्निशमन द्वारा प्रदत्त अनापत्ती प्रमाण पत्र।
3. यू०पी०जी०डब्लू०डी० द्वारा प्रदत्त अनापत्ती प्रमाण पत्र।
4. उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदत्त अनापत्ती प्रमाण पत्र।
5. कैमूर वन्य जीव विहार द्वारा प्रदत्त अनापत्ती प्रमाण पत्र।

AC

10/06/23

17/6/2023

17/6/2023

संलग्नक संख्या-02

# कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी जयमोहनी रेंज

पत्रांक. 183 / 37-1 547 जयमोहनी दिनांक 27/10/2023

ANNEXURE A-2

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी  
काशी वन्य जीव प्रभाग  
रामनगर -वाराणसी

विषय : यवासवनी की स्थापना हेतु वन्य जीव विहार/ईको सेन्सिटिव जोन से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपके कार्यालय का पत्र संख्या 4703/37-1 दिनांक 27.06.2023।  
महोदय,

उपरोक्त विषयगत सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण की जांच किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

1. यवासवनी(बियर फैक्टरी) में 0 वालोप ब्रिविंग कम्पनी, गुलरहवा ग्राम-लोहरा, जनपद-सोनभद्र में स्थापित है तथा यवासवनी(बियर फैक्टरी) की चौहद्दी का जी०पी०एस० लोकेशन-  
(1) N- 24 52 11.96, E-83 04 56.95 (2) N- 24 52 11.51, E-83 04 58.80  
(3) N- 24 52 18.45, E-83 05 01.01 (4) N- 24 52 19.04, E-83 04 59.33
2. यवासवनी(बियर फैक्टरी) से वन क्षेत्र की वास्तविक निकटस्थत दूरी 162 मी० है। यवासवनी(बियर फैक्टरी) से निकटस्थत वन क्षेत्र सीमा का जी०पी०एस० लोकेशन अक्षांश- 24 52 20.07, देशान्तर- 83 05 06.49 है।
3. यवासवनी(बियर फैक्टरी) से सेन्चूरी क्षेत्र की वास्तविक निकटस्थत दूरी 2825 मी० है। यवासवनी(बियर फैक्टरी) से निकटस्थत सेन्चूरी क्षेत्र के सीमा का जी०पी०एस० लोकेशन (C-18) अक्षांश- 24 53 07.24, देशान्तर- 83 06 26.19 है। ( सेन्चूरी क्षेत्र का नक्शा साथ में संलग्न है)
4. यवासवनी(बियर फैक्टरी) से ईको सेन्सिटिव जोन की वास्तविक दूरी 1820 मी० है। यवासवनी(बियर फैक्टरी) से ईको सेन्सिटिव जोन का जी०पी०एस० लोकेशन (E-17) अक्षांश- 24 53 03.64, देशान्तर- 83 05 42.96 है।
5. यवासवनी(बियर फैक्टरी) स्थापित होते हुये इस कार्यालय से कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गयी है। महोदय की सेवा में रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
जयमोहनी रेंज

प्रतिलिपि:-

1. उपप्रभागीय वनाधिकारी (नौगढ़), काशी वन्य जीव प्रभाग रामनगर-वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वन बन्दोवस्त  
आ० का० क्र०/1  
प्र० व० 390  
27/10/2023

क्षेत्रीय वन अधिकारी  
जयमोहनी रेंज

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी

पत्रांक : 1964 / 31 / बन्दो  
सेवा में,

548

रामनगर, दिनांक, अक्टूबर 27 2023

वेदान्त चोपड़ा,  
वौल्लप ब्रुविंग प्रा0लि0, गुलरहवा,  
ग्राम-लोहरा, सोनभद्र।

विषय : यवासनी की स्थापना हेतु वन्य जीव विहार/इको सेन्सिटिव जोन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपका पत्र दिनांक 16.06.2022

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से आप द्वारा वौल्लप ब्रुविंग प्रा0लि0, गुलरहवा, ग्राम-लोहरा, जनपद-सोनभद्र में यवासवनी की स्थापना हेतु वन्य जीव विहार/इको सेन्सिटिव जोन से अनापत्ति प्रमाण पत्र का माँग प्रस्तुत किया गया है, जिसके क्रम में अवगत कराना है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी, जयमोहनी रेंज की रिपोर्ट पत्रांक 183/37-1, दिनांक 27.10.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि यवासवनी (बियर फैक्ट्री) के वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी 162 मीटर है। यवासवनी (बियर फैक्ट्री) से निकटस्थ वन क्षेत्र सीमा का जी0पी0एस0 एवं सेंचुरी क्षेत्र तथा इको सेन्सिटिव जोन का जी0पी0एस0 व दूरी निम्नवत है -

1. प्रस्तावित स्थल से वन क्षेत्र का जी0पी0एस0 अक्षांश-24 52 20.07 व देशान्तर-83 05 06.49
2. प्रस्तावित स्थल से वन्य जीव विहार की वास्तविक दूरी - 2825 मीटर है तथा जी0पी0एस0 अक्षांश-24 53 07.24 व देशान्तर-83 06 26.19
3. प्रस्तावित स्थल से इको सेन्सिटिव जोन की वास्तविक दूरी - 1820 मीटर है तथा जी0पी0एस0 अक्षांश-24 53 03.64 व देशान्तर-83 05 42.96

(रणवीर मिश्र),

प्रभागीय वनाधिकारी,  
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,  
वाराणसी।

पत्रांक 1964 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि उप प्रभागीय वनाधिकारी, नौगढ़ उप प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी, जयमोहनी रेंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रणवीर मिश्र),

प्रभागीय वनाधिकारी,  
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,  
वाराणसी।

Received

21/10/23

# कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी चन्द्रप्रभा रेंज

पत्रांक : 268 /10-कोर्ट केस, चन्द्रप्रभा रेंज दिनांक, मार्च, 10 / 2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी  
काशी वन्य जीव प्रभाग  
रामनगर, वाराणसी।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-725/2023 बलिराम सिंह बनाम वालोप ब्रिविंग प्रा0लि0 व अन्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : आपके कार्यालय का पत्र संख्या-3828/10-कोर्ट केस, दिनांक 07.03.2025 महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 08.03.2025 को सम्बन्धित अनुभाग अधिकारी श्री रामचिरत्र सिंह, वनदरोगा के साथ स्थलीय जाँच की गयी। जाँच के दौरान वालोप ब्रिविंग प्रा0लि0 की पोस्ता नदी के बायें किनारे की चन्द्रप्रभा वन्य जीव विहार की सीमा में निकटतम दूरी की जाँच आख्या निम्नवत् है -

- वालोप ब्रिविंग प्रा0लि0 स्थल जी0पी0एस0 - 24°52'18.40"N 83° 5'1.02"E
- पोस्ता नदी का चन्द्रप्रभा व0जी0वि में निकटम बायें किनारे का जी0पी0एस0- 24°52'31.57"N 83° 6'55.13"E


दूरी की आख्या निम्नवत् है

- चन्द्रप्रभा वन्य जीव विहार के अन्तर्गत पोस्ता नदी के बायें किनारे से वालोप ब्रिविंग प्रा0लि0 की निकटतम दूरी - 3.23 K.M. है।

(राम चिरत्र सिंह)  
वन्य

भवदीय,

क्षेत्रीय वन अधिकारी  
चन्द्रप्रभा रेंज









परिधि ( सर्किल ) वनजीव परियोजना खण्ड ( डिविजन ) काशी वनजीव प्रभाग  
कानपुर रामनगर वाराणसी

वनजीव संरक्षण अधिनियम प्रसूचना ( रिपोर्ट ) सं R.C.N-18/2018-19 दिनांक 03-01-2019  
(1972 की धारा 2(16 ख), 9, 27(ए), 29, 32, 52, 39(3), 50, 51)  
अधिक्षेत्र ( रेन्ज ) जयभोगवनी

DC No- 162/2018-19 PC No- 18/2018-19 (जयभोगवनी)

1. नाम, पिता का नाम और निवास स्थान अज्ञात

2. साक्षी का नाम स्वयं विनोद कुमार पाण्डे वी० व० अ०, रामचरित सिंह व० व०,  
महेश प्रताप व० व० श०, दुधनाथ माली

3. कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक :-  
महोदय आज दिनांक - 01-01-2019 को समय 8:30 प्रातः वन गस्त के दौरान धौहवा कीट के शिकारगण वन कं० न०-17 में धौहवा वन चौकी के लगभग 300 फीट की गहिरा बाबा मारी पर रोड से बायें 100 मीटर अन्दर झाड़ी में तेंदुआ दिखाई दिया। दिनांक 03-01-2019 को प्रातः काल से रैस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी कर लगभग समय रात्रि 8 बजे रैस्क्यू कर तेंदुआ को पिण्डों में बंद कर अलग ले जाया गया रैस्क्यू के दौरान देखा गया कि वन जीव को पकड़ने हेतु शिकारी द्वारा फंदा लगाया गया था जिसमें अन्त तेंदुआ फँस गया था अज्ञात अभियुक्तों का यह कार्य वनजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 (16 ख), 9, 27(ए), 29, 32, 52, 39(3), 50, 51 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। मौके पर तेंदुआ (एर) को शिकार करने के उद्देश्य से फंदा लगाते जाने हेतु प्रभुत क्लचकामर के दो कुत्ते भी तैयार किए गए। अभियुक्तों को सेवा में सूचनाएँ स्वभावशक्त कार्यवाही हेतु प्रेषित

4. मूल्य

5. चालान और अनुसंधान ( इनवेस्टिगेशन ) के सम्बन्ध में विशेष कथन जांच जारी है।

प्रभागीय बन्नाधिकारी काशी वनजीव प्रभाग  
रामनगर वाराणसी की सेवा में प्रथम सूचना रिपोर्ट  
प्रेषित।

G.  
केशव नर्मल स. म. सं.  
दीप्रिय वन अधिकारी

प्राणी  
03-01-2019  
(शाहित्य कुमार)  
(वनरक्षक)  
धौहवा कीट प्रभारी

6. प्रसूचना ( रिपोर्ट ) के व्योमो और प्रमाणों का उल्लेख

T.C.  
20/01/2019

In the Court of Munsif Magistrate, Chakia, Varanasi

Case No. राज केस सख्या 18/2018-19 of 19

Vrs: .....

Application under Section 256 C. R. P. C on behalf of State of Uttar Pradesh by Divisional Forest Officer, Varanasi Forest Division through State Forest Counsel (~~State Forest Council~~) Chakia

1. That the case has been started on the complaint of the Range officer.
2. That the Complainant Divisional Forest officer Varanasi Forest Division

is only formally interested in the case. He is neither an eye witness of the facts alleged in the complaint nor does the prosecution want to produce as witness in the case.

3. That the said Divisional Forest Officer is not only public servant but very busy public servant and his presence on every date fixed in the court in the case would cause great hardship and he would be greatly hampered in the discharge of his public duties.

It is therefore prayed that your honour be pleased to dispense with

State Forest Council  
Varanasi Forest Division  
Chakia, Varanasi.

*N. K. Singh*

*For*

*Forest Counsel  
Chakia, Chandauli*

Divisional Forest Officer  
Varanasi Forest Division

Ramnagar, Varanasi  
प्रभागीय वनाधिकारी  
काशी वन्य जीव प्रभाग  
रामनगर दाराणसी।

(Complaint)

राज्य बनाम गुन्ना पुत्र मजनु निवासी चिकिया रविगंज जिला सोनभद्र

सेवा में श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट चिकिया

अभियुक्तों का नाम तथा पूरा पता आदेश अन्तर्गत अन्य जन्तु (परिक्षण) अधिनियम (1) 29, 32, 39 (3) 50, 51

राज्य के पक्ष संख्या 18/2018-19 सं. रेंज जयमोहनी रेंज (बोट हल्का) घोडा बोट स्थिकरगंज जौनल

प्रकारी काशी वन्य जीव प्रभाग रामनगर द्वारा प्रेषित कारणों थाना नौगाढ़ जिला चन्दौली

अभियुक्तों का नाम तथा पूरा पता

अभियुक्त गिरफ्तार करके जमानत पर छोड़ा गया या हिरासत में है अथवा फरार है।

अपराध का समय तां तथा स्थान

जाँच के समय जो वस्तुएँ तथा हथियार जब्त किये गये तथा सुपुर्गी में दिये गये उनका पूरा विवरण

गवाहों का नाम तथा पूरा पता

अपराध के तथ्य का संक्षिप्त विवरण

समस्त पत्रों की सूची को इनके नाम भेजे जा रहे हैं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
नाम	बाप का नाम	ग्राम	थाना	जिला	अभियुक्त गिरफ्तार करके जमानत पर छोड़ा गया या हिरासत में है अथवा फरार है।	अपराध का समय तां तथा स्थान	जाँच के समय जो वस्तुएँ तथा हथियार जब्त किये गये तथा सुपुर्गी में दिये गये उनका पूरा विवरण	नाम	बाप का नाम	ग्राम थाना तथा जिला	अपराध के तथ्य का संक्षिप्त विवरण	समस्त पत्रों की सूची को इनके नाम भेजे जा रहे हैं
1- गुन्ना	मजनु	चिकिया सुखल	रविगंज	सोनभद्र	अभियुक्त गिरफ्तार करके जमानत पर छोड़ा गया।	समय लगभग 8.00 बजे दिन दिनांक 01-2019 को घोडा बोट के स्थिकरगंज जिला चन्दौली	1- कलचवापर सार 1 अर्द्ध 2- कुल्हाड़ी 1 अर्द्ध 3- गुलेला 1 अर्द्ध 4- चिडिया फंसावे का फंदा 1 अर्द्ध	1- आदित्य कुमार वर्मा 30 बोलिखर चिकिया 2- विनोद कुमार पाठेय 30 बोलिखर चिकिया 3- राम शरिलाल सिंह 30 बोलिखर चिकिया 4- महेंद्र प्रताप सिंह 30 बोलिखर चिकिया 5- दुधनाथ माली 30 बोलिखर चिकिया 6- मोहन चरण 30 बोलिखर चिकिया 7- श्री कृष्ण मोहन वर्मा 30 बोलिखर चिकिया	काजारा जिला देवासिया घोडनाथ पाठेय 30 बोलिखर चिकिया शिवपुर भोजपुर वाराणसी राम शरिलाल सिंह 30 बोलिखर चिकिया महेंद्र प्रताप सिंह 30 बोलिखर चिकिया दुधनाथ माली 30 बोलिखर चिकिया मोहन चरण 30 बोलिखर चिकिया श्री कृष्ण मोहन वर्मा 30 बोलिखर चिकिया	1- इजाजत नामा 2- मजनु प्रति 3- अभियोग प्रति 4- जमानत प्रमाण पत्र 5- जमानत प्रमाण पत्र 6- नौगाढ़ का जमानत प्रमाण पत्र 7- चिकिया रविगंज का जमानत प्रमाण पत्र 8- चिकिया रविगंज का जमानत प्रमाण पत्र 9- फरार वाराणसी का जमानत प्रमाण पत्र 10- सोनभद्र का जमानत प्रमाण पत्र 11- गिरफ्तारी का जमानत प्रमाण पत्र 12- आदेश पत्र		

प्रभोगीय वनाधिकारी काशी वन्य जीव प्रभाग रामनगर-वाराणसी

NW Council

क्षेत्रीय वन अधिकारी जयमोहनी रेंज

अभियोग प्रमाण पत्र

जांच रिपोर्ट

रेंज केस सं० 18/2018-19 जयमोहनी रेंज

सरकार	बनाम	1- मुन्ना पुत्र मजनू	जमानत पर
		2- घुरा पुत्र रामदास	रिहा
		3- राजाराम पुत्र छोटक - फरार	

निवासीगण ग्राम तकिया सुकृत, थाना रावर्टसगंज, जनपद सोनभद्र।

अन्तर्गत धारा - 9, 27 (1), 29, 32, 39 (3), 51 भा० वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972

घटना स्थल - कं० नं० 17 धौठवां बीट चन्द्रप्रभा ब्लाक (शिकारगंज) जयमोहनी रेंज महोदय,

उपरोक्त रेंज के० सं० 18/2018-019 भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित धारा 2 (16ख), 9, 27 (1), 29, 32, 39 (3), 50, 51 के अन्तर्गत एक अदृद तेन्दुआ (नर) के शिकार करने के सम्बन्ध में अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध जारी किया गया है। उक्त रेंज केस का जांच अधिकारी मुझ अधोहस्ताक्षरी को प्रभागीय वनाधिकारी कक्षी वन्य जीव प्रभाग रामनगर, वाराणसी द्वारा नियुक्त किया गया है। अतः जांच कार्य में अग्रसर होकर मैंने सर्व प्रथम घटना स्थल का निरीक्षण एवं घटना की जांच करने हेतु दिनांक 23.01.2019 को प्रातः 9 बजे घटना स्थल पर उपस्थित रहने हेतु सम्बन्धित गवाहान एवं एच-2 केस जारी कर्ता को सूचित किया और नियत तिथि एवं समय पर घटना स्थल धौठवां बीट कं० नं० 17 पहुंचा और घटना स्थल की जांच किया और गवाहान के बताने के अनुसार मैंने घटना सही पाया और घटना स्थल का एक नजरी नक्शा बनाया जिसमें घटना-स्थल को लाल स्याही से अंकित किया गया है जो जांच रिपोर्ट का अंग है। घटना स्थल की जांच के दौरान मैंने गवाहान को निर्देशित किया कि मुखबीर द्वारा अभियुक्तों की जानकारी किया जाय और उन्हें गिस्तार किया जाय और दिनांक 24.01.2019 को मुखबीर से प्राप्त सटिक सूचना के आधार पर अभियुक्तगण नं० 1 व 2 उपरोक्त को धौठवां बीट में पुनः जानवरो को पकड़ने हेतु फन्दा, क्लच वायर एवं कुल्हाड़ी एवं गुलेल लेकर जाते समय उक्त जंगल के अन्दर कारण बताकर गिस्तार किया गया और इनके घर सूचना भी भेजवाया गया और उक्त अभियुक्तों की जमा तलशी ली गयी और जामा तलशी में बरामद सामग्री का गवाहान के समक्ष फर्द बरामदगी तैयार की गयी, जो संलग्न है। उक्त अभियुक्तों ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि हम अभियुक्तगण उक्त जंगल में अक्सर फन्दा लगाकर जानवरो का शिकार करते हैं और घटना वाले दिन भी हम लोग फन्दा लगाकर बैठे थे कि उक्त फन्दे में एक तेन्दुआ फंस गया और फसने के बाद

क बाद विखते हुए दहाड़ मारने लगा कि चीख और दहाड़ की आवाज सुनकर वन के कर्मचारी आ गये और हम लोग वनकर्मियों को देखकर मौके से भाग गये, हम लोग वन जीवों का शिकार करने के अण्य से शिकार में भागे है और गाने गाते गाते सोनभद्र को बेचने का कार्य करते है। उक्त घटना वन क्षेत्र में उक्त घटना भी करते है।

जांच में गवाहान के बयान से यह स्पष्ट है कि घटना 01.01.2019 को लगभग 8:30 प्रातः धौठवा बीट क0 नं0 17 चन्द्रप्रभा ब्लाक (शिकारगंज) धौठवा वन चौकी से लगभग 3 कि0मी0 गहिला बाबा मार्ग पर रोड से बांये 100 मीटर अन्दर झाड़ियों में एक तेन्दुआ दिखाई दिया और दिनांक 03.01.2019 को प्रातःकाल से रेस्क्यू आपरेशन कर रात्रि लगभग 8 बजे पिजड़े में बन्द किया गया और मौके पर देखा गया कि शिकारी द्वारा लगाये गये फन्दे में तेन्दुआ फंस गया था तथा मौके से फन्दा लगाने हेतु प्रयुक्त क्लच वायर 2 टुकड़े भी बरामद हुए जिनकी फर्द बरामदगी मौके पर समक्ष गवाहान तैयार किया गया और उक्त तेन्दुआ उक्त फन्दे से घायल हो गया था इसलिए उसके इलाज हेतु प्रभागीय वनाधिकारी कक्षी वन्य जीव प्रभाग को सूचित किया गया और प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा पत्रांक- 3328/26/2018-019 जनवरी 4, 2019 द्वारा निदेशक कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर को पत्र लिखा गया तथा तेन्दुआ को इलाज हेतु प्राणी उद्यान चिकित्सालय कानपुर भेजा गया जो उद्यान चिकित्सालय में दिनांक 05.01.2019 को भर्ती हुआ और चिकित्सा के दौरान दिनांक 21.01.2019 को उक्त तेन्दुआ की मृत्यु हो गयी। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट एवं पोष्टमार्टम रिपोर्ट की छायाप्रति जांच आख्या के साथ संलग्न है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त अपराध किया गया है और वर्णित घटना सत्य पाया गया।

घटना स्थल कक्षी वन्य जीव प्रभाग के जयमोहनी रेंज के धौठवा बीट क0 नं0 17 चन्द्रप्रभा ब्लाक (शिकारगंज) में स्थित है। उक्त वन क्षेत्र चन्द्रप्रभा सेन्चुरी के नाम से अधिसूचित है और उक्त वन क्षेत्र भा0 वन अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा रक्षित वन नियमानुसार घोषित करते हुए शासकीय गजट में प्रकलन बजरिये विज्ञप्ति- संख्या 7241/14-ख शासकीय गजट में प्रकलन दिनांक 27.11.1965 को किया जा चुका है। उक्त गजट प्रमाणित छायाप्रति जांच आख्या के साथ संलग्न है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण द्वारा सेन्चुरी के अन्तर्गत विज्ञापित क्षेत्र / रक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत बिना अनुमति प्रवेश करके वन्य जीवों का शिकार करने के अण्य से शिकार हेतु प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों एवं औजारों के साथ प्रवेश करके वन्य जीव संरक्षण अधि0 के अन्तर्गत विभाजित श्रेणी के अन्तर्गत अंकित वन्य जीव तेन्दुआ का शिकार व्यापार करने के अण्य से किया है जिससे राजकीय सम्पत्ति की क्षति हुई है। अतः अभियुक्तगण द्वारा वन्य जीव संरक्षण

559

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी  
पत्रांक : 7630 / 10-केस, / 2019-20 , रामनगर, दिनांक, जून 13 , 2019

सेवा में,

✓ क्षेत्रीय वन अधिकारी,  
जयमोहनी रेंज।

विषय : एच-2 केसों को मा0 न्यायालय में दाखिल कराने के सम्बन्ध में।

संदर्भ : आपका पत्रांक 283/10 केस दिनांक 06.06.2019

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित एच-2 केसों में अभियुक्तों के विरुद्ध प्रस्तुत अभियोग पत्र पर हस्ताक्षर के उपरान्त आपको निम्नानुसार वापस करते हुए निर्देशित किया जाता है कि इन केसों को मा0 न्यायालय में दाखिल कराये तथा केस की एक प्रति अभिलेख हेतु सुरक्षित रखें।

क्र0सं0	रेंज का नाम	RC NO./वर्ष	योग
1	जयमोहनी रेंज	18(23)2018-19 18/6/19	02

(मनोज कुमार खरे),  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,  
वाराणसी।

पत्रांक : / उक्तदिनांकित।


प्रतिलिपि प्रभारी कोर्ट केस, नौगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार खरे),  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,  
वाराणसी।

# गिरफ्तारी सूचना

आज दिनांक 24.12.2019 को समय 9:00 बजे प्रातः चौहवाटी के ब्लॉक क0न0.श्रीकादगंज 17  
 आरक्षित वन क्षेत्र में सुरा पुढा रामदास नि. तद्वि. सुकुल अभियुक्तों को मौके पर गिरफ्तार  
 किया गया तथा वन अपराध भा.आ.सं.का. 1872 को धारा 2(167), 9, 27(I), 29, 32, 52 एवं  
 33(3), 50, 51 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी तथा अभियुक्तों के परिवार जन को सूचित किया गया।

अरे द्वारा हे धरुत  
 नूचन की गयी है।



(के. एन. एन.)  
 जॉय डी. एन.  
 उप प्रशासक वनाधिकारी  
 नौगढ़  
 जमी दन्तजीव प्रभाग  
 नगर, बाराणसी

24.12.19  
 क्षेत्रीय वन अधिकारी  
 जम्शेदपुरी रेंज नौगढ़ चन्दौली

### गिरफ्तारी सूचना

आज दिनांक 24.11.2019 को समय 9.00 प्रातः बजे प्रो. व. व. के ब्लॉक क0न0 वि. नं. 17  
 आरक्षित वन क्षेत्र में मुन्ना, पुल, मजदूर, नि. लोडिया, सुकत अभियुक्तों को मौके पर गिरफ्तार  
 किया गया तथा वन अपराध सं. नं. 00/2019 अं. 1972 की धारा 2 (16ब) 3, 27, (1)  
 29, 32, 52, सब 39 (3) 50, 51  
 ...के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी तथा अभियुक्तों के परिवार जन को सूचित किया गया।

मेरे द्वारा भेटे घुल घट  
 सूचना दी गयी है।



*(Handwritten Signature)*  
 (क. एन. वर्मा)  
 ज्यो. व. अधिकारी  
 उप प्रभागीय वनाधिकारी  
 नौगढ़  
 काशी वन्यजीव प्रभाग  
 रामनगर, वाराणसी

*(Handwritten Signature)*  
 24.11.2019  
 क्षेत्रीय वन अधिकारी  
 जयभोगनी रेंज नौगढ़ चन्दौली

सीजर रिपोर्ट

न्यायालय श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट चाकिया, चटौली

अपराध संख्या R.C. 18/2018-19 दिनांक 24.01.2019

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा :-  
 धारा 2(1)(क), 9, 27(1), 29, 32, 52, 59(3), 50, 51, 52  
 थाना नौगढ़  
 रेंज जयमोहन नौगढ़  
 जिला चटौली

श्रीमान् जी,

निवेदन है कि उपरोक्त केस में धारा 2(1)(क), 9, 27(1), 29, 32, 52, 59(3), 50, 51, 52 भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के अन्तर्गत निम्न लिखित वस्तुयें सीज की गयीं।  
 सीज की गई वस्तुओं का विवरण

- ① खूबक कलमच बाणतण — ① झण्ड
- ② कुल्हाड़ी — ① झण्ड
- ③ गुलेला — ① झण्ड
- ④ चिड़िया पंख का पंख — ① झण्ड

नाम व पता अभियुक्त गण - ① मुन्ना पुत्र प्रजसू, ② पूर्य पुत्र शरदास  
 निवासी गण गाँव बकिमा, सुकृत, थाना रावईगंज  
 जिला सोनभद्र।

सीजर रिपोर्ट न्यायालय श्रीमान् जी के समक्ष सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

24.01.2019  
 (जयमोहन नौगढ़)  
 क्षेत्रीय वन्यजीव अधिकारी  
 जयमोहन नौगढ़  
 काशी वन्यजीव प्रभाग  
 रामनगर, वाराणसी

प्रतिलिपि-

प्रभागीय वनाधिकारी काशी वन्य जीव प्रभाग रामनगर वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप प्रभागीय वनाधिकारी नौगढ़ काशी वन्य जीव प्रभाग रामनगर वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जयमोहन नौगढ़)  
 क्षेत्रीय वन्यजीव अधिकारी  
 उप प्रभागीय वनाधिकारी  
 जयमोहन नौगढ़  
 काशी वन्यजीव प्रभाग  
 रामनगर, वाराणसी

## फर्ड बरामदगी

आज दिनांक २५-०१-२०१९ को समय प्रा. १:०० बजे शिकार शा. ब्लाक क० न० १७  
 आरक्षित वन क्षेत्र में घोड़ा वीट अभियुक्तों को मौके पर गिरफ्तार  
 किया गया तथा वन अपराध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम १९७२ की धारा  
२ (१६) १, २, (१), २९, ३२, ५१, एवं ३९ (३) ५०, ५१  
 के अन्तर्गत बर्बर की गयी तथा मौके पर फर्ड लिखा गया।

(१) अभियुक्तों का नाम पता - ① मुन्ना पुत्र अजय ② सुरा पुत्र राम दास निवासी गण  
 शम- तफिया सुकठ धाना- शर्वटगंज जिला- सोनभद्र

(२) बरामद सामग्री का विवरण ① कलच बापर ① अण्ड  
 ② फुल्लारी — ① अण्ड  
 ③ गुमेल — ① अण्ड

(३) उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर ① चिडिया फसाने का फंदा ① अण्ड

① मु. इमरान खाँ, उप-क्षेत्र वन अधिकारी सोनभद्र  
 ② राम चरित सिन्हा वन दरोगा  
 ③ बहेदुर प्रताप ब. ज. श. स. स. स. स. स.

G.

बर्बर

२५-०१-२०१९

सोनभद्र

## फर्द बरामदगी

आज दिनांक 03-01-2019 को समय 8 PM बजे शिकारगंज ब्लॉक क0न0 17  
 आरक्षित वन क्षेत्र में शिकार अभियुक्तों को मौके पर गिरफ्तार  
 किया गया तथा वन अपराध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के धारा  
9 (16ख) 9, 27 (1) 29, 32, 52 एवं 39 (3), 50, 51  
 ...के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी तथा मौके पर फर्द लिखा गया।

(1) अभियुक्तों का नाम पता - अज्ञात

(2) बरामद सामग्री का विवरण बूटना रुबल से तेंदुआ (नर) को मारने  
उद्देश्य से शिकारियों द्वारा फन्दा (कलच वापर) का  
दे हुका - रुब रुक जीवित नर तेंदुआ बरामद किया गया

(3) उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर

1 -	सुरेश कुमार कुमार	वन रक्षक	बीट प्रभारी चौक वा बीट जम्मादनी
2 -	विजोद कुमार पाण्डेय	शिकार	वन अधिकारी, जम्मादनी
3 -	रामचरित सिंह	वन रक्षक	जम्मादनी
4 -	मोहन प्रताप	वन रक्षक	जम्मादनी
5 -	दुधनाथ	माली	जम्मादनी

फर्द मेरे समक्ष बनाया गया

सहायक वन अधिकारी  
जम्मादनी

फर्द मेरे द्वारा तैयार किया गया

★  
 (आदिश कुमार)  
 वन रक्षक  
 चौक वा बीट प्रभारी  
 03-01-2019

वपान अभियुक्त

श्री कि मुचा कंसजन निवास- लोकेष्य वान- शवरे मय मय  
 निरुमय का रहने वाला है श्री 308 है 2 लाख धुरा 870  
 शमदास निवास- लोकेष्य कुष्ठ वान- शवरे मय मय-  
 निरुमय दिनांक 01/01/019 के उतः लागत 9 वने द्यो हवा की  
 चन्द्र प्रभा वलाक (शिका मय) के पंगली दुआ ले- दुआ आदि  
 पावनों का फकड के लिए बलाच वापल का फन्दा लागत  
 वने वने उसने एक ले- दुआ को ली मय मय आदि मय  
 तक उसे काबू में किया जाता तक उसकी चीख व दहाड़  
 सुनकर वन विभाग के संभारती मय आ मने तक हम लोग  
 भागे है भाग मने हम लोग पंगली में आकर पंगली  
 पावनों का फकड का फाट कर है है आदि उनकी खाल  
 व माल का राजा मय मय कंस निवास- लोकेष्य  
 वान- शवरे मय मय- निरुमय का वने का फाट कर है है  
 उतः राजा मय हम लोग के उतः मय में सहयोग करे  
 आज हम लोग का दौड़वा मंगल में फन्दा लागत है लु मं  
 एवं बलाच वापल एवं कुल्हाड़ी टप्पा गुल्लक लोकेष्य का  
 कि वन कारियों एवं अधिकारियों द्वारा फकड लिया गया। श्री  
 खिचका है वपान करंट मिसी दवाव के दे रहा है।

उत्ते कस सो लिखा गया

वपान के हेतु मय मय मय  
 मय मय मय

24.01.019  
 श्री मय मय  
 उप प्रभागीय वनाधिकारी  
 मय मय  
 काशी वन्यजीव प्रभाग  
 रामनगर, वाराणसी

वपान के हेतु मय  
 लिखा गया।  
 (श्री मय मय मय)  
 उप वन्यजीव अधिकारी  
 मय मय मय



श्री मय मय मय  
 मय- लोकेष्य मय मय



Kanpur Zoological Park, Kanpur  
 Veterinary Necropsy Protocol  
 Post-Mortem Report

Date 21/01/19

Animals Scientific Name Sex Personal name Age Size Weight  
 Marks of identification if any) Panthera Pardus male young L=54 inches 41 kg  
 date and place of death : 20 A.M 21/01/19 Kan hospital in urinal G=26 "  
 Time and date of post-mortem examination : H=27 "  
 Tail L=35 inches

Short history of illness, if any :

Severely injured brought from Kashi division on 5/01/19 and was being treated accordingly  
 weak and wounded

A. General Description :

B. Organ - wise description of lesions :-

- (1) Head and Neck... All teeth of maxilla intact, upper Rt canine broken (a) Skull and Brain (b) Vertebrae
- (2) Thorax... On the thoracic rib cage Bacterial mucus film found (a) Lungs (b) Heart (c) Ribs
- (3) Abdomen... wound size ventrally L=3 inches deep 2 inches (a) Liver - (b) Stomach - (c) Intestines - (d) Kidney (e) Spleen
- (4) Pelvic Girdle... Dorsal wound 3.5 inches long Lt lateral wound L=13 inches thickness 1.2 inch Deep wound = 2 inches found (a) Uterus and Ovaries (b) Bladder (c) Genital Passage
- (5) Limbs... (a) Fore limbs (b) Hind limbs
- (6) Any other special features :

Ischemic myocarditis  
 Local necrotic foci found and Peritrichial haemorrhages found on lobes of lung  
 Pale and enlarged  
 Stomach ulcers with tinge blood clot present  
 No endoparasites found  
 enlarged fluffy appears  
 Cortex medulla not differentiated  
 full of urine  
 NAD  
 NAD: All nail are intact  
 Lt hind limb 3rd Phalanges broken nail found

Biological tests done (if any) :

- (i) Blood
- (ii) Urine
- (iii) Discharges
- (iv) Biopsy

(7) Opinion : Died of CRF due to septicemia leading to multiple organ failure

(8) Instructions for disposal :

Place K.P.P.

Signature [Signature]

Signature [Signature] 21/1/19

Name Dr. Md. Nazim

Name Dr. Binay Kumar

Date 21/01/19

Designation [Designation]

Designation [Designation]

(Seal)

(Seal) Kalyanpur, Kanpur

दामा प्रतिप्रतीक

क्षेत्रीय वन अधिकारी  
 जयमोहनी रेज

# KANPUR ZOOLOGICAL PARK, KANPUR

## Treatment Sheet

Report of (wild) from KASHI

Date	Personal Name of Animal	Symptoms (i) Disease (ii) Condition of Animal	Diagnosis	Description	Reaction to Treatment	Remarks or V.O.
17-01-19	Did not eat bull temp. 98.6°f.		Rx	dy ceftek 500 1.5gm dy fexitas 500 / dy dy Concomplex 500 / dy dy Asarn 300 / dy dy R.L. 500ml dy Invermedin 8pc ASD = Deomakel + Betadine + Turmeric for		1.5 gm 1000ml 1000ml 1000ml 1000ml 1000ml 1000ml
18-01-19	Did not eat		Rx	ASD = Betadine + Turmeric dy ceflate 500 1.0gm / dy dy B-Complex 500		
19-01-19	- do -		Rx	dy ceftek 500 1g / dy dy D.S 1000ml / dy ASD and elecoup into Hydrog. Betadine / to Benzom c of Deomakel / Turmeric spray + Turon		
20-01-19	- do -		Rx	dy DMS 500ml / dy ASD = Betadine lona and Turmeric for		

The leopard died at 09:30 AM on 21-01-19 in our hospital due to Septicemia resulting into multiple organ failure

द्वारा प्रति प्रमाहित  
 G.  
 क्षेत्रीय वन विभाग  
 जयपुरी रोड

# KANPUR ZOOLOGICAL PARK, KANPUR

## Treatment Sheet

Leopard ♂ (wild) from KASHI

Date	Personal Name of Animal	Symptoms (i) Disease (ii) Condition of Animal	Diagnosis	Description	Reaction to Treatment	Remarks of V.O.
11-01-19		<ul style="list-style-type: none"> <li>Raw eggs 2 litres of Buffalo Soup taken</li> <li>Bruise over eye</li> <li>Bull 2 dehydrated</li> </ul>	Rx	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cleaned the wounds with <math>H_2O_2</math></li> <li>ASD 2 Betadine Dermakil, Hydrogel and Turmeric Pr.</li> <li>Di Deks 1.25gm / Di Ceftak SP 1.5</li> <li>Di Ipcid C 6ml / Di Aram 3ml</li> <li>Di DNS 500ml / Di RL 500ml / Ne</li> <li>Di Aptiquik 30ml / Dextrin 20ml</li> </ul>		
12-01-19		<ul style="list-style-type: none"> <li>10 raw eggs 2 litres of Buffalo Soup taken</li> <li>Bull</li> </ul>	Rx	<ul style="list-style-type: none"> <li>ASD 2 Betadine + Dermakil</li> <li>Turmeric powder</li> <li>Di Ceftak SP 1.5g / Di Deks 1.25</li> <li>Enerdyna liquid 30ml</li> </ul>		
13-01-19		<ul style="list-style-type: none"> <li>10 raw eggs + 2 litres of soup taken</li> </ul>	Rx	<ul style="list-style-type: none"> <li>ASD 2 Betadine lotion + Tur</li> <li>Di Ceftak SP 1.5gm / Di Aram 3ml</li> <li>Di Aram 3ml / Di Ipcid C 3ml</li> </ul>		
14-01-19		<ul style="list-style-type: none"> <li>Consumed 6 raw egg till 5 PM.</li> <li>Small patches of blood below both nostrils but no bleeding noticed.</li> <li>Left upper canine both tip broken</li> <li>Wounds condition is fair.</li> </ul>	Rx	<ul style="list-style-type: none"> <li>ASD 2 Betadine lotion 2</li> <li>Turmeric powder</li> </ul>		
15-01-19		<ul style="list-style-type: none"> <li>Blood sample collected for conc. LFT KFT, lipid profile.</li> <li>Swab from wound collected for CS test</li> <li>2 litres of soup taken</li> </ul>	Rx	<ul style="list-style-type: none"> <li>ASD 2 N.S.</li> <li>Di Ceftak SP 1.5gm / Deks 1.25gm</li> <li>Di Roelox 2ml / Di Phospho 3ml</li> <li>Di Treadlynd 4ml / Di Vit AD<sub>3</sub>EH</li> <li>Di Nurokind Plus 2ml / Di DNS 500</li> <li>Di D.S 500ml / Di Concept 5ml.</li> </ul>		
16-01-19		Did not eat	Rx	<ul style="list-style-type: none"> <li>Di Ceftak SP 1.5gm / Di Fenite 2</li> <li>spray of Turmeric powder</li> </ul>		

डाया प्रति प्रभिति

VETERINARY OFFICER

KANPUR ZOOLOGICAL PARK,  
KANPUR.

VETERINARY OFFICER

KANPUR ZOOLOGICAL PARK,  
KANPUR.

9.  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
जयमोहनी रेज

# KANPUR ZOOLOGICAL PARK, KANPUR

## Treatment Sheet

Leopard ♂ (WILD) from KASHI

Date	Personal Name of Animal	Symptoms (i) Disease (ii) Condition of Animal	Diagnosis	Description	Reaction to Treatment	Remarks V.O.
05-01-19		<p>Self-inflicted wounds with sullused wounds from the left abdominal region extending to the right flank and lion region. The animal was dragging and unable to move from hind quarters. Wounds appeared to be more than 7 days old with suppuration.</p> <p>Injured leopard was examined by Dr. Utkarsh Bhukta Dyal, Dr. R. K. Singh, V.O. KZA, Dr. U. C. Singh, V.O. KZA, Dr. Mohd. Nasir, V.O. KZA.</p>		<p>Thorough cleaning of wounds with Betadine &amp; normal saline antiseptic dressing with Dioxone powder &amp; Lozaxone cream.</p> <p>Dr. Ceptak-SB 1.5gm / DCRS 1.25g Dr. Conceptex 5ml / Vitahed 2ml Dr. Curadex 5ml.</p>		
06-01-19	Did not eat			<p>Dr. Ceptak-SB 1.5gm / DCRS 1.25g Dr. Conceptex 5ml.</p> <p>ASD 2 Betadine lotion, DCRS Pr and Turmeric powder.</p>		
07-01-19	1kg boiled buffalo was given but did not eat. • Buffalo Soup taken			<p>ASD 2 Betadine lotion + DCRS Pr + Turmeric Pr. After 24 hrs of debris and pus with Hydrogen peroxide.</p>		
08-01-19	• Buffalo Soup 2 litres • 12 no. of raw eggs given by syringe • Wound is showing +ve response.			<p>ASD 2 Betadine &amp; Turmeric (morning) [Dr. Ceptak-SB 1.5g / evening Dr. DCRS 1.25g / syptic quick 20 Dr. Conceptex 5ml / syptic quick 20</p>		
09-01-19	- Do -			Repeat treatment		
10-01-19	• Buffalo Soup 3 litres consumed but eggs not taken • one ragget seen			<p>ASD 2 Betadine + Toilet (clorox) / Turmeric after cleaning with H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Dr. DCRS 1.25g / Dr. Ceptak-SB 1.5g Dr. Conceptex 5ml / Dr. Calbit 3ml / syptic quick 20ml spray of Dermakil lotion &amp; Turmeric</p>		

घात्रा प्रति प्रमोद

9.  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
जयमोहनी रेज

VETERINARY OFFICER  
KANPUR ZOOLOGICAL PARK  
KANPUR

कार्यालय वन संरक्षक/निदेशक, कानपुर प्राणि उद्यान, कानपुर

पत्रांक 543 / 23-3 दिनांक, कानपुर, 01, 2019

सेवा में,

प्रभागयी वनाधिकारी,  
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,  
वाराणसी।

विषय:- जयमोहनी रेंज के अन्तर्गत थोथवा बीट ब्लाक क0न0 शिकारगंज-17 में पकड़े गये घायल तेन्दुए के इलाज हेतु कानपुर प्राणि उद्यान में दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक 2377/23-4-17, दिनांक 04-01-2019 व आपका पत्रांक 3328/26/2018-19 दिनांक 04-01-2019


महोदय,

सन्दर्भित पत्र के क्रम में अगवत कराना है कि विषयगत तेन्दुआ प्राणि उद्यान चिकित्सालय में दिनांक 05-01-2019 को भर्ती हुआ था। इस तेन्दुए की मृत्यु दिनांक 21-01-2019 को हो गयी है।

उक्त तेन्दुआ के चिकित्सा रिपोर्ट एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय




(कृष्ण कुमार सिंह)  
वन संरक्षक/निदेशक  
कानपुर प्राणि उद्यान,  
कानपुर।

पत्रांक / तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. डॉ० आर०के० सिंह, प्रभारी पशुचिकित्साधिकारी, कानपुर प्राणि उद्यान, कानपुर।

छायाप्रति प्रामाणिक

  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
जयमोहनी रेंज

(कृष्ण कुमार सिंह)  
वन संरक्षक/निदेशक  
कानपुर प्राणि उद्यान,  
कानपुर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी  
पत्रांक : / 26 / 2018-19, रामनगर, दिनांक, जनवरी 04, 2019

सेवा में,

निदेशक,  
कानपुर प्राणी उद्यान,  
कानपुर।

विषय : जयमोहनी रेंज के अन्तर्गत धौठवा बीट के ब्लॉक कं०नं० शिकारगंज-17 में पकड़े गये घायल तेन्दुए के इलाज हेतु कानपुर प्राणी उद्यान में दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्र संख्या-2377 / 23-4-17, दिनांक 04.01.2019

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ महोदय के सन्दर्भित पत्र द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जयमोहनी रेंज के अन्तर्गत धौठवा बीट ब्लॉक कं०नं० शिकारगंज-17 में पकड़े गये घायल तेन्दुए को इलाज हेतु वाहन संख्या-यू०पी० 65 जी०टी०-6504 में पिजड़ा सहित लादकर श्री रामचरित्र सिंह, वन दरोगा एवं श्री महेन्द्र प्रताप, वन्य जीव रक्षक के साथ कानपुर प्राणी उद्यान, कानपुर भेजा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त तेन्दुए को कानपुर प्राणी उद्यान में लेने हेतु सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी को निर्देशित करने की कृपा करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार खरे),  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,  
वाराणसी।

पत्रांक : 3328 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश कानपुर महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

✓ प्रतिलिपि श्री रामचरित्र सिंह, वन दरोगा एवं श्री महेन्द्र प्रताप, वन्य जीव रक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे तेन्दुए को कानपुर प्राणी उद्यान सकुशल पहुँचाया जाना सुनिश्चित करें।


*The leopard remains in K2P hospital is under my regular surveillance. I have included a single flask of blood in the environmental test. The environmental test will be conducted further after 24 hours.*

(मनोज कुमार खरे),  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,  
वाराणसी।

खरना तें पुढा रेल्वे स्थान का नजरी नकाशा




श्रीकारगंज रेल्वे स्थान  
कॉन्स. 17



← डूरी 6.00 Km →

खोवना



वन विभाग  
गृह अपमोहनी  
पोला

← लगभग डूरी 8.00 Km.

N-24° 52' 58.96  
E-04° 04' 48.36

← लगभग डूरी 16.00 Km →

महुपुर पवकी सडक नौगाड

संकेत

- === - पवकी सडक
- - नाका
- - वन विभाग गृह
- ⊠ - खरना स्थान

*[Handwritten signature]*  
[Faint official stamp]

परिशिष्ट - 4.1

Copy of Forest Department G-O- No- 3694/XIV-\*135/1957, dated May, 24 1957 to the Chief Game Warden, U-P- and copy to C-C-F-

Subject: Proposal to establishment the Chandraprabha Sanctuary in Varanasi Forest Division-

With reference to your letter No- 1337/23-10-2, dated May 14, 1957 the above subject, I am directed to say that the Governor has been pleased sanction under rule '4 of the rules regulating hunting, shooting and fishing reserved forests, your proposals for the establishment of a sanctuary in Varanasi Forest Division with the boundaries as shown in the Annexure here. The Sanctuary may be named "CHANDRAPRABHA SANCTUARY" You now take necessary action under rules-

OFFICE OF THE CHIEF GAME WARDEN, GAME PRESERVATION CIRCLE NO- 1436/23-10-2, Dated, Lucknow, June 2, 1957-

Copy forwarded to the Game warden, Chandraprabha, Region information and necessary action under the rules-

Copy also to the Divisional Forest Officer Varanasi for information-

Sd/-

(S-S- Negi),  
C-G- Warden, U-P-

घाया प्रविष्ट

G.  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
जयमोहिनी रेज